विषय-सूची			
क्र.सं.	**विषय**	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं.**
1.	प्राक्कथन		ix
2.	कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4.	उत्तराखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	स रा घ उ में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	4
6.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	5
7.	सरकारी लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	6
8.	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	1.3.1	10
9.	सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का सूक्ष्मावलोकन	1.3.2	11
10.	राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.4	12
11.	मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर एफ आर बी एम लक्ष्य तथा उन पर उपलब्धियाँ	1.4.1	13
12.	मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना	1.4.2	15
13.	घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ	1.4.3	17
14.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार उधार लेने के संबंध में राज्य सरकार का प्रदर्शन	1.4.4	18
15.	लेखापरीक्षा परीक्षण के बाद घाटे तथा कुल ऋण	1.5	19
16.	पश्च लेखापरीक्षा-घाटा	1.5.1	19
17.	पश्च लेखापरीक्षा - कुल लोक ऋण	1.5.2	20
18.	निष्कर्ष	1.6	22
19.	संस्तुतियाँ	1.7	23
अध्याय-2: राज्य के वित्त			
20.	2021-22 के सापेक्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन	2.1	25
21.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	26
22.	राज्य के संसाधन	2.3	27
23.	राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	27

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
24.	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	28
25.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	2.3.2.1	28
26.	राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	31
27.	स्वयं का कर राजस्व	2.3.3.1	31
28.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	2.3.3.2	32
29.	राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण	2.3.3.3	33
30.	करेत्तर राजस्व	2.3.3.4	35
31.	केंद्रीय अंतरण	2.3.4	36
32.	केंद्रीय कर अंतरण	2.3.4.1	37
33.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.4.2	38
34.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.4.3	39
35.	पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान	2.3.4.4	40
36.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.4	40
37.	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.5	41
38.	संसाधनों का उपयोग	2.6	42
39.	राजस्व व्यय	2.6.1	44
40.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.6.1.1	46
41.	वचनबद्ध व्यय	2.6.2	47
42.	अन्य वचनबद्ध व्यय	2.6.2.1	49
43.	वेतन एवं मजदूरी	2.6.2.2	50
44.	ब्याज भुगतान	2.6.2.3	51
45.	पेंशन	2.6.2.4	52
46.	सब्सिडी	2.6.2.5	53
47.	अंतर्निहित सब्सिडी	2.6.2.6	54
48.	अनम्य व्यय	2.6.2.7	54
49.	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.6.2.8	55
50.	पूँजीगत व्यय	2.6.3	56
51.	पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव	2.6.3.1	57
52.	पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.6.3.2	57

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
53.	व्यय की प्राथमिकताएँ	2.7	62
54.	लोक लेखा	2.8	65
55.	लोक लेखा में निवल बकाया	2.8.1	65
56.	आरक्षित निधियाँ	2.8.2	66
57.	निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ	2.8.2.1	67
58.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.8.2.2	67
59.	राज्य आपदा शमन कोष (एस डी एम एफ)	2.8.2.3	68
60.	प्रतिभूति मोचन निधि	2.8.2.4	69
61.	राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि	2.8.2.5	70
62.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना	2.8.3	71
63.	ऋण प्रबंधन	2.9	71
64.	सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति	2.9.1	71
65.	ऋण संरचनाः घटक	2.9.2	72
66.	2022-23 के अंत में बकाया समग्र देनदारियों का विवरण	2.9.3	73
67.	घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति	2.9.4	74
68.	लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान	2.9.5	74
69.	ऋण रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	2.9.6	76
70.	ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.9.7	78
71.	उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.9.8	83
72.	प्रतिभूति की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	2.10	84
73.	नकद बकाये का प्रबन्धन	2.11	86
74.	नकद बकाये का निवेश	2.11.1	86
75.	निष्कर्ष	2.12	89
76.	संस्तुतियाँ	2.13	90
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
77.	बजट प्रक्रिया	3.1	91
78.	बजट तैयारी प्रक्रिया	3.2	92
79.	जेंडर बजटिंग	3.2.1	94

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
80.	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक वितरणों एवं बचतों का सारांश	3.2.2	95
81.	भारित एवं मतदेय वितरण	3.2.3	95
82.	बजट मानक चिन्ह	3.2.4	96
83.	विनियोग लेखे	3.3	97
84.	बजटीय एवं लेखाप्रणाली प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3.1	97
85.	विधि प्राधिकार के साथ व्यय करना	3.3.1.1	97
86.	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं विलोमतः	3.3.2	98
87.	अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.3	99
88.	किए गए पुनर्विनियोग, जिनमें पूर्व वैधानिक प्राधिकार की आवश्यकता है	3.4	103
89.	अनावश्यक/अत्यधिक पुनर्विनियोग	3.4.1	103
90.	अव्ययित राशि और समर्पित विनियोजन और/अथवा वृहद बचत/ समर्पण	3.5	104
91.	अनुदान/विनियोग जिसमें बजट उपयोग 50 *प्रतिशत* से कम हुआ	3.5.1	106
92.	₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के समर्पण का विवरण	3.5.2	108
93.	उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/ विनियोगों की संख्या के वितरण	3.5.3	108
94.	वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के पूर्व बचत एवं समर्पण का विवरण	3.5.4	109
95.	बजट आवंटन और उसका उपयोग	3.5.5	109
96.	अधिक व्यय और उसका नियमितीकरण	3.6	109
97.	2022-23 से संबन्धित अधिक व्यय	3.6.1	110
98.	प्राधिकार से अधिक मुख्य शीर्ष वार वितरण का विवरण	3.6.2	110
99.	कतिपय अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.6.3	111
100.	विगत वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण	3.6.4	112
101.	पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायता अनुदान	3.7	114
102.	बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविकता के बीच अंतराल	3.8	116

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
103.	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	3.9	119
104.	पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का पालन	3.10	120
105.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.11	121
106.	व्यय की तीव्रता	3.12	122
107.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.13	126
108.	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	3.13.1	126
109.	केंद्र एवं राज्य योजनाओं पर व्यय	3.14	138
110.	निष्कर्ष	3.15	139
111.	संस्तुतियाँ	3.16	140
अध्याय-4: लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य			
112.	लेखों की पूर्णता से संबन्धित प्रकरण	4.1	141
113.	ब्याज सहित आरक्षित निधियों व जमाओं के प्रति ब्याज अदायगी की स्थिति एवं प्रभाव	4.1.1	141
114.	क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित की जाने वाली निधियाँ	4.1.2	142
115.	स्थानीय निधियों में जमा	4.1.3	143
116.	पारदर्शिता से संबन्धित प्रकरण	4.2	144
117.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2.1	144
118.	सार आकस्मिक बिल	4.2.2	146
119.	स्वयं के खातों तथा कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित निधियाँ	4.2.3	148
120.	व्यक्तिगत जमा लेखे/व्यक्तिगत लेजर खाता	4.2.4	148
121.	निष्क्रिय और गैर-मिलान किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	4.2.5	150
122.	लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.2.6	151
123.	माप संबंधी प्रकरण	4.3	155
124.	प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत बकाया शेष	4.3.1	155
125.	विभागीय आँकड़ों का मिलान न करना	4.3.2	160
126.	नगद शेष राशि का मिलान	4.3.3	162

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
127.	प्रकटीकरण से संबन्धित प्रकरण	4.4	162
128.	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.4.1	162
129.	स्वायत निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जमा करना	4.4.2	163
130.	निकायों और प्राधिकरणों को दिये गए अनुदानों/ऋणों का विवरण प्रस्तुत नहीं करना	4.4.3	164
131.	समयबद्धता और लेखों की गुणवत्ता	4.4.4	164
132.	अन्य प्रकरण	4.5	165
133.	गबन, हानि, चोरी आदि	4.5.1	165
134.	राज्य के वित्त की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.5.2	165
135.	निष्कर्ष	4.6	165
136.	संस्तुतियाँ	4.7	166
अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम			
137.	सरकारी कम्पनियों की परिभाषा	5.1	167
138.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	167
139.	रा सा क्षे उ और राज्य के स रा घ उ में उनका योगदान	5.3	167
140.	रा सा क्षे उ में निवेश और बजटीय सहायता	5.4	169
141.	रा सा क्षे उ में इक्विटी स्वामित्व और ऋण	5.4.1	169
142.	विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.2	170
143.	रा सा क्षे उ से प्रतिफल	5.5	170
144.	रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	170
145.	रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान	5.5.2	170
146.	ऋण भुगतान	5.6	171
147.	ब्याज व्याप्ति अनुपात	5.6.1	171
148.	रा सा क्षे उ का वित्तीय प्रदर्शन	5.7	172
149.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.7.1	172
150.	रा सा क्षे उ द्वारा इक्विटी पर प्रतिफल	5.7.2	173
151.	निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की दर	5.7.3	174

क्र.सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
152.	रा सा क्षे उ की हानियाँ	5.8	176
153.	वहन की गई हानियाँ	5.8.1	176
154.	रा सा क्षे उ में पूंजी का क्षरण	5.8.2	177
155.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	178
156.	सी ए जी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	178
157.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.11	179
158.	समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	5.11.1	179
159.	रा सा क्षे उ द्वारा खातों की तैयारी की समय-सीमा	5.11.2	179
160.	सांविधिक निगमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	180
161.	सी ए जी का निरीक्षण - लेखों की लेखा परीक्षा और पूरक लेखा परीक्षा	5.12	180
162.	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	5.12.1	180
163.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	181
164.	सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	181
165.	सी ए जी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	181
166.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.13.1	181
167.	सरकारी कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	5.13.2	182
168.	सांविधिक निगम जहां सी ए जी एकमात्र/ अनुपूरक लेखापरीक्षक है	5.13.3	182
169.	निष्कर्ष	5.14	182
170.	संस्तुतियाँ	5.15	182

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य की रूपरेखा	185
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	186
परिशिष्ट-2.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े	188
परिशिष्ट-3.1	बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	191
परिशिष्ट-5.1	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्धमो की सूची	193
परिशिष्ट-5.2	सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की सारांशित वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम, जिनके लेखे 30 सितंबर 2023 तक पूर्ण कर लिए गए थे	195
परिशिष्ट-5.3	2000-01 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा सा क्षे उ में राज्य सरकार की निधियों के संचार को दर्शाने वाला विवरण	197
परिशिष्ट-5.4	अंतिम खातों के अनुसार रा सा क्षे उ का विवरण, जो संचित हानि में है	200
परिशिष्ट-5.5	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्धम के बकाया लेखों से सम्बन्धित सूचना	201
परिशिष्ट-5.6	सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव	203
परिशिष्ट-5.7	सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	204
परिशिष्ट-5.8	वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	205
परिशिष्ट-6.1	शब्दावली	207